भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 5506

उत्तर देने की तारीख- 03/04/2025

ईएमआरएस का विस्तार

5506. श्रीमती हिमाद्री सिंहः
श्री भोजराज नागः
श्री गजेन्द्र सिंह पटेल:
कैप्टन बृजेश चौटा:
डॉ. के. सुधाकरः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री माधवनेनी रघुनंदन रावः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:
श्री नव चरण माझी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेषकर कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और छत्तीसगढ़ के महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और अधिक जनजातीय छात्रों को नामांकित करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) का विस्तार राज्यवार किस प्रकार किया जा रहा है;

(ख) ईएमआरएस में शिक्षा और अध्यापक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है कि जनजातीय छात्र राज्यवार, विशेषकर कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और छत्तीसगढ़ के महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पारम्परिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ डिजिटल और कौशल आधारित शिक्षा प्राप्त करें;

(घ) क्या उच्च शिक्षा में जनजातीय युवकों के नामांकन में वृद्धि करने के लिए कोई नई छात्रवृत्तियां या प्रोत्साहन शुरू किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार विशेषकर कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और छत्तीसगढ़ के महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तत्संबंधी ब्यौरा और कार्यान्वयन की स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का जनजातीय छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में ईएमआरएस स्थापित करने का विचार है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई थी। नई योजना के तहत, सरकार ने 440 ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया, 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (जनगणना 2011 के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस होगा। 288 ईएमआरएस स्कूलों को शुरू में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के अंतर्गत वित्त पोषित किया गया था, जिन्हें नए मॉडल के अनुसार उन्नत किया जा रहा है। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख अजजा छात्रों को लाभान्वित करने वाले कुल 728 ईएमआरएसएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में ऐसा कोई ईएमआरएस स्वीकृत नहीं है क्योंकि दक्षिण कन्नड़ जिले का कोई भी ब्लॉक ऊपर उल्लिखित ईएमआरएस की स्थापना के लिए दोहरे मानदंडों को पूरा नहीं करता है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल चार धमतरी जिला (1), गरियाबंद जिला (2) और महासमुंद जिला (1) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) स्वीकृत किए गए हैं और कार्यशील बताए गए हैं।

(ख): जनजातीय छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए ईएमआरएस में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं: -

1. **शैक्षिक अवसंरचना:**

- आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री से सुसज्जित कक्षाएँ।
- विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएँ।
- विविध शिक्षण संसाधनों से युक्त पुस्तकालय।

2. **आवास एवं सुविधाएं:**

- छात्रों और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं।
- बिस्तर, फर्नीचर और स्वच्छता जैसी आवश्यक सुविधाओं के साथ लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास।

3. **खेल और पाठ्येतर सुविधाएं:**

- खेल के मैदान और खेल उपकरण।
- संगीत, कला और खेल जैसी पाठ्येतर गतिविधियों के लिए सुविधाएँ

4. **स्वास्थ्य और पोषण:**

   -
   - नियमित स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा सुविधाएं।

5. **आईटी और डिजिटल लर्निंग:**

   -
     -
     - डिजिटल शिक्षा के लिए स्मार्ट कक्षाएँ।
     - इंटरनेट पहुंच के साथ कंप्यूटर लैब।

6. **व्यावसायिक प्रशिक्षण:**

- रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

इसके अलावा, ईएमआरएस की योजना का प्रबंधन और कार्यान्वयन करने के लिए इस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) ने शैक्षणिक प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, मानव संसाधन मामलों आदि के क्षेत्रों में उन्मुखीकरण के लिए देश भर से ईएमआरएस के सभी प्रधानाचार्यों को एक साथ लाने के लिए प्रिंसिपल कॉन्क्लेव का आयोजन किया है और इस सम्मेलन ने उनके ज्ञान और पेशेवर कौशल को समृद्ध किया है। एनईएसटीएस ने राज्य समितियों को आवासीय संस्कृति और शैक्षणिक लेन-देन के लिए शिक्षकों को प्रेरण प्रशिक्षण देने का अधिकार भी दिया है।

(ग): मंत्रालय एनईएसटीएस के माध्यम से अन्य सरकारी निकायों के साथ मिलकर कई पहलों को क्रियान्वित कर रहा है, ताकि आदिवासी छात्रों को पारंपरिक पाठ्यक्रम को बनाए रखते हुए डिजिटल और कौशल-आधारित शिक्षा तक पहुँच प्रदान की जा सके। इन पहलों में शामिल हैं:

i) जनजातीय स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ईआरएनईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के साथ साझेदारी में डिजिटल बोर्ड से सुसज्जित स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना।
ii) छात्रों को व्यावहारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रदान करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमओएसडीई) के सहयोग से 200 ईएमआरएस में 400 कौशल प्रयोगशालाओं की स्थापना।
iii) पीएसीई-आईआईटी और मेडिकल के सहयोग से कक्षा 11 और 12 के छात्रों के अनुरूप रिकॉर्ड किए गए व्याख्यानों के साथ-साथ आईआईटी-जेईई और एनईईटी (नीट) के लिए ऑनलाइन कोचिंग सत्रों का प्रावधान। इसके अतिरिक्त, उच्च प्रदर्शन करने वाले और शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों दोनों को सहायता प्रदान करने के लिए विशेष कक्षाएं और केंद्रित प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान किए जाते हैं।

iv) व्यावसायिक शिक्षा सहित पाठ्यक्रम और पाठ्येतर शिक्षा को बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी द्वारा एक समर्पित डीटीएच चैनल का आवंटन, दूरदराज के क्षेत्रों में छात्रों के लिए व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना।
इसके अतिरिक्त, पारंपरिक पाठ्यक्रम को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए, भाषा अधिगम और सांस्कृतिक निरंतरता की सहायता करने हेतु कन्नड़ के लिए क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों की भर्ती की गई है।
आदिवासी छात्रों के लिए समग्र शिक्षा और बेहतर अधिगम के परिणाम सुनिश्चित करने के लिए इन उपायों को आदिवासी क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है, जिसमें कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ और छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले को कवर करने वाला महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र शामिल है।
(घ): जनजातीय कार्य मंत्रालय देश भर में अनुसूचित जनजाति आबादी के बीच बुनियादी और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है: -

i) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X के लिए)

ii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा XI और उससे ऊपर के लिए)

iii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (जिसे पहले शीर्ष श्रेणी छात्रवृत्ति योजना के रूप में जाना जाता था): प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून आदि जैसे पेशेवर क्षेत्रों में 265 शीर्ष श्रेणी के सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

iv. अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना: भारत में एम.फिल या पीएचडी करने के लिए मेधावी अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

v) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति: विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी अनुसूचित जनजाति (अजजा) छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है।

मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं खुली (ओपन ऐंडेड) हैं और 2.5 लाख तक की आय वाले प्रत्येक अनुसूचित जनजाति के छात्र इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में कक्षा 12 में अध्ययनरत छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं जैसे कि नीट, जेईई, सीएलएटी आदि के लिए आवेदन शुल्क को वहन करने के लिए राज्य समितियों को निर्देश जारी किए गए हैं। इन आवेदन शुल्कों का खर्च संबंधित राज्य ईएमआरएस समितियों द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे छात्रों और उनके परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा।

(ङ): दिशा-निर्देशों के अनुसार, 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (जनगणना 2011 के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में ईएमआरएस स्थापित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में, छुरा ब्लॉक में एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) को अनुच्छेद 275(1) के तहत 2015-16 में मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में नई योजना के तहत मैपुर ब्लॉक में 01 ईएमआरएस को मंजूरी दी है। इन दोनों स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा कार्यशील बनाया गया है।

*****